<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122022-240895 CG-DL-E-08122022-240895

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 8, 2022/अग्रहायण 17, 1944

No. 303]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 8, 2022/AGRAHAYANA 17, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक स्चना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2022

सं. 40 / 2015−2020

विषय:— परिशिष्ट 2ञ — विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) की सूची और प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात के लिए कोटा के आवंटन के लिए पात्र एसटीई का संशोधन/अद्यतन।

फा. सं. 01/89/180/विविध-37/एएम-07/पीसी-2[क]/पार्ट-V/ई-25648.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2015—2020 के पैरा 1.03 तथा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा यथा संलग्न संशोधित परिशिष्ट 23 —विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) की सूची और संलग्न प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात के लिए कोटा के आवंटन के लिए पात्र एसटीई का संशोधन/अद्यतन को अधिसूचित करते हैं।

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

संशोधित / अद्यतन परिशिष्ट 2ज — विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) की सूची और प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात के लिए कोटा के आवंटन के लिए पात्र एसटीई को अधिसूचित किया जाता है। इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से कुछ मौजूदा कम्पनियों को एसटीई के रुप में सूची से हटाया गया है और कुछ नई कम्पनियों को विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन हेतु एसटीई के रुप में शामिल किया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

8186 GI/2022 (1)

अनुलग्नक

परिशिष्ट 2ज विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) की सूची और प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात के लिए कोटा के आवंटन के लिए पात्र एसटीई के संशोधन/अद्यतन के संबंध में सार्वजनिक सूचना संख्या 40/2015—20 दिनांक 08/12/2022 में संदर्भित अनुलग्नक

परिशिष्ट 2ज विदेश व्यापार नीति के प्रयोजन के लिए राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) की सूची

क्रम	एसटीई का नाम
संख्या	
1.	भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)
2.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
3.	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)
4.	इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) (केवल 31.03.2023 तक)*
5.	राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक (आरसीएफ)
6.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड (एनएफएल)
7.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड (आईआरईएल)
8.	कुद्रेमुख आयरन ओरे कंपनी लिमिटेड, बैंगलोर (केआईओसीएल)
9.	मैगनीज ओरे इंडिया लिमिटेड (एमओआईएल)
10.	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी)
11.	राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ (एनसीडीएफ)
12.	नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केंटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड)
13.	राज्य सहकारी विपणन संघ (एससीएमएफ)
14.	केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी)
15.	राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम

^{*}अधिसूचना संख्या 65/2015–20 दिनांक 01/04/2022

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

New Delhi, the 8th December, 2022

Public Notice No. 40 /2015-2020

Subject: Revision / updation of Appendix -2J - List of State Trading Enterprises (STEs) for FTP purpose and eligible STEs for allocation of quota for import under the Tariff Rate Quota (TRQ).

F. No. 01/89/180/Misc-37/AM-07/PC-2[A]/Part-V/E-25648.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP), 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies revised/ updated Appendix-2J - List of State Trading Enterprises (STEs) for FTP purpose and eligible STEs for allocation of quota for import under the Tariff Rate Quota (TRQ), as **Annexed.**

2. Effect of this Public Notice:

Revised / updated Appendix -2J - List of State Trading Enterprises (STEs) for FTP purpose and eligible STEs for allocation of quota for import under the Tariff Rate Quota (TRQ), is notified. Through this Public Notice, some of the existing entities have been de-listed as STE and some new entities have been included as STE for FTP purpose.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade

Ex-Officio Addl. Secy.

Annexure

Annexure referred to in Public Notice No. 40/2015-20 dated 08.12.2022 regarding revision / updation of Appendix-2J - List of State Trading Enterprises (STEs) for FTP purpose and eligible STEs for allocation of quota for import under the Tariff Rate Quota (TRQ)

<u>Appendix – 2J</u> <u>List of State Trading Enterprises (STEs) For FTP Purpose</u>

Sl. No.	Name of STE
1.	Food Corporation of India (FCI)
2.	Indian Oil Corporation Limited (IOCL)
3.	Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC)
4.	Indian Potash Limited (IPL) (till 31.03.2023 only)*
5.	Rashtriya Chemicals & Fertilizers (RCF)
6.	National Fertilizers Limited (NFL)
7.	Indian Rare Earth Ltd. (IREL)
8.	Kudremukh Iron Ore Company Limited, Bangalore (KIOCL)
9.	Manganese Ore India Limited (MOIL)
10.	National Dairy Development Board (NDDB)
11.	National Cooperative Dairy Federation (NCDF)
12.	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED)
13.	State Cooperative Marketing Federation (SCMF)
14.	Central Warehousing Corporation (CWC)
15.	State Cooperative Civil Supplies Corporation

^{*}Notification No. 65/2015-2020 dated 01/04/2022